न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी: अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:–04/2021 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्रीमति जमनी पिता मोहन सुथार जाति सुथार आयु वयस्क निवासी गुन्दली तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
2. श्रीमति गंगा पत्नी मदन सुथार जाति सुथार आयु वयस्क निवासी गुन्दली तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री जैताराम पिता स्व० कालु गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
2. श्री भैरू लाल पिता स्व० कालु गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
3. श्री जीवराज पिता स्व० कालु गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
4. श्री छोटु पुत्री स्व० कालु गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
5. श्रीमति सायरी पत्नी स्व० कालु गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाडा (राज०)

–विपक्षीगण

अधिवक्तागण–

1. प्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन उपस्थित
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रतनलाल जाट अनुपस्थित।

प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 25/3/2025

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन द्वारा दिनांक 08.01.2021 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर कम संख्या 4/2021 पर दर्ज किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की शामलाती अविभाजित कृषि आराजियात वाके ग्राम गुन्दली पटवार हल्का गुन्दली भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) मे आराजी संख्या 988/3 रकबा 0 बीघा 02 बिस्वा भूमि गै०मु० आचा (चाह) स्थित है जो कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का शामलाती होकर अविभाजित है जिसमे 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण का व 1/2 हिस्सा विपक्षीगण का है जो कि राजस्व रेकॉर्ड में अंकित होकर हिस्सा अनुसार 1 माह में 15 दिन प्रार्थीगण उपयोग में लेते है व 15 दिन विपक्षीगण उपयोग–उपभोग में लेते आ रहे है किन्तु विपक्षीगण की नियत में फितुर पैदा हो गया हे जिससे विपक्षीगण प्रार्थीगण को 1/2 हिस्सा के उपयोग–उपभोग में बाधा व रूकावट उत्पन्न कर रहे है व उक्त कुआ के पानी से प्रार्थीगण की एवं उनके भाईयो की आराजी नम्बर 987 की सिंचाई होती है जिसकी सिचांई नही करने दे रहे है व बाधा व रूकावट उत्पन्न कर रहे है जिससे अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के प्रार्थीगण अधिकारी है।

25/3/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उक्त विवादग्रस्त भूमि गै0 मु0 कुआ की भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में अंकित होकर उसी अनुसार उपयोग–उपभोग व अपनी खातेदारी की भूमि की सिंचाई करते आ रहे है किन्तु विपक्षीगण प्रार्थीगण को उक्त कुएं से सिंचाई नहीं करने दे रहे है व लडाई झगडा व विवाद कर रहे है. हाल ही मे विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को दिनांक 15/12/2020 को यह धमकी दी कि मौके पर कुआ से पानी निकालने आये तो जान से खत्म कर देंगे इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा मौके पर पानी निकालने में बाधा व रूकावट उत्पन्न की जा रही है अतः विपक्षीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया।

विवादित भूमि में प्रार्थीया संख्या 01 व प्रार्थीया संख्या 02 के पति का नाम उक्त वादग्रस्त गै0 मु0 कुआ की भूमि में राजस्व रेकॉर्ड में नाम अंकित है, प्रार्थीया संख्या 02 के पति मदन लाल सुथार बाहर होकर लापता है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का नाम प्रार्थीया संख्या 02 दो के रूप में संयोजित किया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण के बिनाय वाद कारण दिनांक 15/12/2020 को मौके से बेदखल करने की धमकी देने की तारीख से उत्पन्न होकर जारी है।

ग्राम गुन्दली पटवार हल्का गुन्दली भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) मे आराजी संख्या 988/3 रकबा 0 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि गै०मु० आचा चाह (कुआ) है जो कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का शामलाती होकर अविभाजित है जिसमे 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण का व 1/2 हिस्सा विपक्षीगण का है किन्तु विपक्षीगण की नियत में फितुर पैदा हो गया है जिससे विपक्षीगण प्रार्थीगण को 1/2 हिस्सा के उपयोग उपभोग में बाधा व रूकावट उत्पन्न कर रहे है व उक्त कुएं के पानी का उपयोग उपभोग नही करने दे रहे है यदि विपक्षीगण द्वारा उक्त कुआ से पानी नहीं निकालने दिया तो मौके पर प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य अधिकाधिक विवाद उत्पन्न होगा जिसका मुल्यांकन आर्थिक रूप से किया जाना असम्भव है अतः मुलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक 20.12.2024 को विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 05 की ओर से जवाब पेश किया गया–

वादग्रस्त भूमि ग्राम गुंदली तह0 भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 988/3 रकबा 0.02 बीघा किस्म गै0 मु0 आचा (कुआ/चाह) में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा नहीं है उक्त आराजियात तनहा विपक्षीगण जवाबदार के स्वामित्व की है। उक्त कुंए में प्रार्थीगण का कोई हिस्सा नहीं है, ना ही उक्त कुंए के पास में विपक्षीगण जवाबदार की कोई आराजियात है तो फिर महिने में 15 दिन सिंचाई करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजियात पर तत्कालीन खातेदार ने सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण प्राप्त किया था जो समय पर जमा नहीं करवाने से सहकारी भूमि विकास बैंक ने उक्त भूमि को बकाया ऋण राशि की वसूली कार्यवाही के तहत् नीलाम कर दी जिसे नीलामी में विपक्षीगण जवाबदारान के परिजन कालू पिता गोकल जी गुर्जर ने खरीद ली एवं कुछ आराजियात तत्कालीन खातेदार मोहन पिता हजारी खाती एवं मदन पिता मोहन खाती से विपक्षीगण जवाबदारान के परिजन कालू पिता गोकल जी गुर्जर ने क्रय कर आधिपत्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उक्त संपूर्ण आराजियात के तनहा स्वामी विपक्षगण जवाबदारान ही है। वादग्रस्त आराजियात पर पूर्व में रिकॉर्ड में कुंआ दर्ज नहीं था मौके पर केवल एक खड्डा ही था उक्त खड्डे को विपक्षीगण जवाबदारान ने 3,08,000/– रूपयों में श्री नारायण पिता नाथू गुर्जर निवासी–चतरभुजपुरा को 44 फीट गहरा करने का ठेका देकर गहरा करवाया था उक्त रकम विपक्षीगण ने ठेकेदार नारायण गुर्जर को अदा की थी। इस प्रकार उक्त आराजी कुंए में प्रार्थीगण का कोई हक या हिस्सा नहीं है।

25/3/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

विपक्षीगण के परिजन श्री कालू पिता गोकल गुर्जर एवं मदन पिता मोहन खाती ने ग्राम गूंदली तहसील व जिला–भीलवाड़ा की आराजी संख्या 988 रकबा 07 बीघा 04 बिस्वा किस्म बारानी–तृतीय को वादीगण के परिजन श्री मोहन आत्मज हजारी खाती से दिनांक 24.04.1990 को जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र के क्रय किया उक्त आराजी में एक खड्डा 10 हाथ गहरा खुदा हुआ था जो कि वादग्रस्त कुंआ है जिसको भी कालू व मदन ने खरीद कर लिया था जिसका अंकन विक्रयपत्र में भी कर रखा है मदन द्वारा खरीदी गयी आराजियात के नये नम्बर 988/2 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा कायम हुए उक्त आराजियात को दिनांक 01.01.1991 को मदन पिता मोहन खाती से श्री कालू आत्मज गोकल गुर्जर, भैरू आत्मज कालू गुर्जर व मोहन आत्मज हजारी खाती ने 1/3–1/3 हिस्सेनुसार खरीद कर लिया, तत्पश्चात मोहन पिता हजारी खाती ने अपने 1/3 हिस्से को सहकारी भूमि विकास बैंक, भीलवाड़ा के यहां रहन रख ऋण ले लिया, ऋण को नहीं चुकाने के कारण सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा रहन रखी गयी आराजियात को बैंक द्वारा नीलाम किया गया जिसमें से अन्य आराजियात के साथ–साथ आराजी संख्या 988/2 में मोहन खाती के 1/3 हिस्से की नीलामी में विपक्षीगण जवाबदारान के परिजन कालु पिता गोकल गुर्जर ने नीलामी में छुडवा लिया जिसका पंजीयन 18.05.2010 को विपक्षीगण के परिजन कालु पिता गोकल गुर्जर के पक्ष में किया गया इस प्रकार आराजी संख्या 988 का संपूर्ण रकबा का तनहा स्वामी विपक्षीगण के परिजन कालू पिता गोकल व भैरू पिता कालु गुर्जर हो गये जिसमें वादग्रस्त कुंआ भी शामिल है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त कुंए में प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण का है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण द्वारा नीलामी में छुड़ाने बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। चूंकि शेष भूमि नीलामी में अप्रार्थीगण के पक्ष में विक्रय हुई थी जिसके आधार पर अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को स्वयं के हक हिस्से की होना बताते हुये प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते हैं। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा होने से प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावे।

पत्रावली में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण निम्नांकित तीन बिन्दुओं पर किया जाना आवश्यक है:–

1. प्रथमदृष्टया मामला– प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है, प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सेदार होने से कुऐ के पानी का समुचित उपयोग करने हेतु स्वतंत्र है। परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को कुएं के पानी के उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचाते है। वादग्रस्त कुएं में प्रार्थीगण का हक हिस्सा होने से प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला बनता है।

प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 988/3 रकबा 0.02 बीघा किस्म गै0 मु0 कुएं की भूमि में हक हिस्सा है, परन्तु उनका हिस्सा 1/2 किस प्रकार तय होता है, यह प्रार्थी साबित करने में असफल रहा है जिससे प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि गै0मु0 कुए का माह में 15 दिवस उपयोग के अधिकार का हक प्रमाणित नहीं होता है। परन्तु प्रार्थी का हक हिस्सा निश्चित रूप से वादग्रस्त कुएं में निहित है। लेकिन उसका हिस्सा क्या है, इसे तय किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में 1/2 हक हिस्से का सिद्ध नहीं होता है।

2. सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिः– दोनों बिन्दुओं का निर्धारण प्रकरण का गुणवतापूर्ण निस्तारण करने के उद्देश्य से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी के भाई की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 987 में वादग्रस्त कुएं से सिंचाई की जाती है। चूंकि प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में 1/2 हक हिस्सा है जिसका उपयोग–उपभोग प्रार्थी का अधिकार है। यदि प्रार्थी को अपने अधिकारों से वंछित किया जाता है तो उसे अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रार्थी का हक हिस्सा होने से प्रार्थी को कुएं के उपयोग–उपभोग करने का अधिकार बखूबी प्रमाणित होता है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में निर्णित की जावे।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण में बिन्दु संख्या 1 प्रथम दृष्टया मामला में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रार्थीगण का क्या हक हिस्सा है, इसे नियत किया जाना संभव नहीं है। इसी कम में प्रार्थीगण को कितने दिवस की अवधि के लिए कुएं के जल के उपयोग का अधिकार प्रदान किया जावे, यह नियत किया जाना संभव नहीं है। जहां तक खसरा नम्बर 987 में सिंचाई का प्रश्न है, प्रार्थी आराजी नम्बर 987 का खातेदार एवं प्रार्थी के सम्बन्धों को साबित करने में असफल रहा है, साथ ही आराजी नम्बर 987 में सिंचाई का साधन आराजी नम्बर 988/2 रहा हो, बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं करने से प्रार्थी सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को साबित करने में असफल रहा है। अतएव

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध विपक्षीगण खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

25/3/2025

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा।